

निःशक्तजन प्रोत्साहन सहायता योजना

- कक्षा 8 वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर (9 वीं) में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर एकमुश्त रूपये 2500/- (रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जावेगा।
- इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक (12 वीं) की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में एकमुश्त रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार मात्र) प्रदान किया जावेगा ।
- उक्त प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत की जावेगी ।